प्रेस नोट दिनांक 11.07.2024

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

स्वाट टीम व थाना कुण्डा पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट, चोरी, डकैती की घटना का सफल अनावरण

थाना कुण्डा में चोरी, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, रेन्ज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम व पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 06.07.2024 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्यासपुर में घटना का किया था निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्रान्तर्गत चोरी, लूट, डकैती की घटित घटना में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व अनावरण हेतु दिए गये थे सख्त निर्देश

दिनांक 06.07.2024 की रात्रि को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्यासपुर के पास में घर में घुसकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डकैती की घटना कारित की थी

दिनांक 24/25.06.2024 की रात्रि को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीरपुर बनोही में अज्ञात द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना कारित की थी

स्वाट टीम व थाना कुण्डा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत बाबूगंज बाजार जिल्ला कुण्डा के पीछे से अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त शुभम दुबे उपरोक्त के कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संंबंधित 5500/-रुपये, आधार कार्ड वादी की पुत्री का, 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस किया गया बरामद

अभियुक्त चण्डिका प्रसाद शुक्ला के कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संंबंधित 3500/- रुपये किये गये बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1. दिनांक 06.07.2024 की रात्रि थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्यासपुर में वादी छोटेलाल गौतम पुत्र शिवबालक गौतम निवासी ग्यासपुर थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ के घर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर वहां पर रखा शर्ट से 3000/- रुपये एवं मोबाइल तथा पेटी में रखे कपड़े गेहूं- चावल की बोरी चोरी करके ले जाने लगे उसी समय आवाज आने पर नींद खुल गई, शोर मचाने एवं विरोध करने पर मेरे बेटा, बेटियों को लकड़ी, सरिया से मारना पीटना एवं मार पीट कर फायर करके दहशत फैलाते हुए भाग जाना, उनके द्वारा

फायर करते समय मेरी बेटी के पैर में गोली लग जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 309(6)) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

2. दिनांक 24/25.06.2024 की रात्रि को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीरपुर बनोही में वादी कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र रामनरेश पाण्डेय निवासी ग्राम मीरपुर बनोही थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ के घर में वाउड्रीवाल फांदकर अज्ञात चोर घुस गये थे, घर में रखा बक्शा को निकालकर उसमे रखे कपडे, 10000/- रू0 एवं वादी की माता के गहने ले जाने के संबंध में वादी की तहरीर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 457,380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, रेन्ज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम तथा डकैती, लूट व चोरी की घटित घटनाओ के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गई थी, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा सत्येन्द्र सिंह के नेत्तृत्व में थाना कुण्डा पुलिस व स्वॉट/सर्विलांस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं पुलिस मुठभेड़ के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित बाबूगंज बाजार में जिल्ला के पीछे से दिनांक 11.07.2024 को समय 03.05 बजे मु0अ0सं0 191/2024 धारा 309(6)) BNS व मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 457,380 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्त, शुभम दुबे उम्र 24 वर्ष पुत्र कमलेश कुमार दुबे निवासी बन्तरी रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संबंधित 5500/-रूपये, वादी की पुत्री का आधार कार्ड एवं 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस व चण्डिका प्रसाद शुक्ला उम्र 26 वर्ष पुत्र ज्ञान चन्द्र शुक्ला निवासी तिलौरी पूरे शुक्लान कस्बा, थाना कुण्डा प्रतापगढ़ के कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संबंधित 3500/- के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अन्य अभियुक्त भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भाग गये। घटना में संलिप्त शेष अपराधियो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर सम्भावित स्थानो पर तलाश कर दबिश दी जा रही है।

विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 309(6)) BNS में धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में तरमीम किया गया एवं मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 457,380 भादवि में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों के कब्जे 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं. 198/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त शुभम दुबे उपरोक्त ने बताया गया कि दिनांक 06.07.2024 की रात्रि में ग्राम गयासपुर में, मैं तथा मेरे पिता कमलेश दुबे पुत्र अखिलानन्द दुबे निवासी बन्तरी रैयापुर थाना कुण्डा ,अन्शू उर्फ कृपाशंकर पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय निवासी शीतलपुर रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, चण्डिका प्रसाद शुक्ला उपरोक्त तथा यादव निवासी मानस का पुरवा भदरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ तथा मिश्रा एवं उसकी पत्नी द्वारा घटना को कारित किया गया था, जिसमें चण्डिका प्रसाद शुक्ल द्वारा रैकी की गयी थी तथा डेढ़ माह पहले मीरपुर बनोही के कृष्ण कुमार पाण्डेय एडवोकेट के घर मे घुसकर मैं तथा मेरे पिता कमलेश दुबे तथा अन्शु उर्फ कृपाशंकर उपरोक्त एवं चण्डिका प्रसाद शुक्ल उपरोक्त द्वारा मिलकर चोरी की घटना को कारित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शुभम दुबे उम्र 24 वर्ष पुत्र कमलेश कुमार दुबे निवासी बन्तरी रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2. चण्डिका प्रसाद शुक्ला उम्र 26 वर्ष पुत्र स्व0 ज्ञान चन्द्र शुकला निवासी तिलौरी पूरे शुक्लान कस्बा व थाना कुण्डा प्रतापगढ़।

अभियुक्त शुभम दुबे उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 191/2024 धारा,310(2),311,317(3) BNS थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु.अ.सं. 198/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त चण्डिका प्रसाद शुक्ला उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 360/20 धारा 354/352/323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(1)ध/3(2)Vक एससी/एसटी एक्ट व धारा 8 पाक्सो एक्ट। थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु.अ.सं. 477/20 धारा 506 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 191/2024 धारा,310(2),311,317(3) BNS थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

5. मु.अ.सं. 198/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।
2. उक्त मुकदमों से संबंधित कुल 9000/- रूपये नगद बरामद।
3. आधार कार्ड वादी की पुत्री का।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1- स्वॉट/सर्विलांस टीम:- प्रभारी स्वॉट टीम उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह हे0का0 धनन्जय कुमार राय, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 जागीर सिंह, का0 अरविन्द दूबे, का0 सनोज कुमार, का0 श्रीराम सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय।

2- उ0नि0 श्री गोविन्द सिंह चौहान, उ0नि0 श्री गिरीष धर दुबे, उ0नि0 श्री अंकित तिवारी, उ0नि0 श्री दुर्गेश सिंह, का0 उमाशंकर भारती, का0 सुशील कुमार, का0 मनीष राय थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक –11.07.2024 जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार का शातिर व संगठित गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति

हत्या, लूट, चोरी, गोवध/गोतस्करी, अवैध अपमिश्रित शराब तस्करी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त शातिर अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु गैंग पंजीकृत कर निगरानी हेतु दिए गये सख्त निर्देश

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने/कड़ी निगरानी करने हेतु धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों से संबंधित अभियुक्तगणों का गैंग पंजीकरण

जनपद के 06 थानों में कुल 10 गैंग पंजीकृत किया गया

थाना लीलापुर से 03, बाघराय से 01, थाना अन्तू से 02, थाना कुण्डा से 01, थाना जेठवारा से 02, थाना नवाबगंज से 01

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा संगठित गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप/ अपराध कारित किये जाने के परिणामस्वरूप इनके विरूद्ध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनके संगठित गैंगों के आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु इनके गैंगों का पंजीकरण किया गया है, जिसके अनुक्रम में विभिन्न अपराध शीर्षक हत्या कारित करने, लूट एवं चोरी कारित करने, गोवध/गोतस्करी, अवैध अपमिश्रित शराब तस्करी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों/गिरोहों के आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थाना लीलापुर से 03, बाघराय से 01, थाना अन्तू से 02, थाना कुण्डा से 01, थाना जेठवारा से 02, थाना नवाबगंज से 01, इस प्रकार कुल 10 संगठित गैंगों को पंजीकृत किया गया है। जिनका थानावार विवरण निम्नवत है –

थाना लीलापुर –

गैंगलीडर नफीस पुत्र रफीक निवासी ग्राम गाबी महुआबन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य फिरोज खाँ, रफीक व अबुतालिब के विरुद्ध हत्या कारित करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गैंगलीडर शहजाद उर्फ चिप्प पुत्र मो0 सफीक निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्यगण चौवाल उर्फ रफीक, मो0 ताहीर, सफीक, आशीष कुमार के विरुद्ध गोवध एवं गोतस्करी कारित करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गैंगलीडर रवि यादव उर्फ भीम पुत्र बृजेश यादव निवासीग्राम लक्ष्मणपुर पतुलकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्यगण आलोक कुमार उर्फ भोले, उमेश यादव, अमित कुमार पाण्डेय के विरुद्ध एटीएम कार्ड क्लोन तैयार कर व्यक्तियों को धोखा देकर खाते से रूपये निकालने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

थाना जेठवारा –

गैंगलीडर पंकज सरोज उर्फ पण्डा पुत्र दारा सरोज निवासी ग्राम शिवरा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य मेराज उर्फ आदिल, सैफ, अदनान, शुभम उर्फ पारस सरोज, मो0 अरमान के विरुद्ध लूट एवं चोरी कारित करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गैंगलीडर आलम पुत्र हकीम अली निवासी ग्राम रामपुर बजहा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य मो0 इकराम, दिलशाद, शकील, महफूज अहमद के विरुद्ध गोवध एवं गोतस्करी करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

थाना अन्तू –

गैंगलीडर भीम सेन उर्फ राजू सिंह पुत्र स्व0 शेषनारायण सिंह निवासी ग्राम पूरब गांव (किठावर) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य धर्मेन्द्र वर्मा के विरुद्ध अवैध अपमिश्रित शराब तस्करी करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गैंगलीडर शईद अहमद उर्फ मुन्ने पुत्र सदीक निवासी जैतीपुर कठार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य कलामुद्दीन, मो0 गुलजार, जावेद अहमद, आजाद, रापप्रवेश सरोज, राहुल कोरी के विरुद्ध गोवध/ गोतस्करी करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

थाना नवाबगंज –

गैंगलीडर राकेश गुप्ता पुत्र गयाप्रसाद उर्फ गयादीन निवासी नोहर का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ हा0प0 ग्राम कन्धई थाना नवाबगंज प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य अंकित सोनी उर्फ छोटू, गोविन्द मंगता, श्रीराम उर्फ बब्लू के विरुद्ध लूट एवं चोरी कारित करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

थाना कुण्डा –

गैंगलीडर शहजादे उर्फ शहबाज पुत्र मो0 मूसा निवासी मुख्तार नगर रज्जनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य मो0 मंसूर, एराज, एहतेशाम उर्फ नाटे के विरुद्ध गोवध व गोतस्करी करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है।

थाना बाघराय –

गैंगलीडर पंकज मिश्र पुत्र रामकृष्ण मिश्रा निवासी पंचमहुआ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य रमेश पाल, सुनील यादव के विरुद्ध हत्या कारित करने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग की घटना में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत बूढ़ेपुर भट्टे के पास बाग से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गये थे सख्त निर्देश

अभियुक्त रामलोचन पाल पुत्र शिवमंगल पाल नि0ग्राम लोसनापुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 01 एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 10.07.2024 की शाम को वादी व उसके परिवार को घर के बाहर जमीनी रंजिश को लेकर एक राय कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठी, डण्डा व अवैध असलहे के साथ जान से मारने की नियत से वादी व उसके परिवार से मारपीट करना, गाली- गलौज करना, जान से मारने की धमकी देते हुए एवं अवैध असलहे से फायरिंग कर दहशत फैलाने के संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 226/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352, 351(2), 351(3), 288 बीएनएस बनाम 06 व्यक्ति नामजद व स्विफट कार में सवार 01 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी बाघराय के नेतृत्व में दिनांक 11.07.2024 को समय 20.45 बजे थाना बाघराय के उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त एवं सदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 226/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352, 351(2), 351(3), 288 बीएनएस से संबंधित 05 वांछित अभियुक्त, 01. रामलोचन पाल पुत्र शिवमंगल पाल 02. शिवमंगल पाल पुत्र स्व0 देवतादीन नि0गण ग्राम लोसनापुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ 03. अनिल पाल पुत्र छोटे लाल पाल 04. विजय पाल पुत्र नकुल पाल 05. रवि पाल पुत्र लाल बहादुर पाल नि0गण साकिनान बुदौना थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज को थानाक्षेत्र बाघराय के बूढ़ेपुर भट्टे के पास बाग के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त रामलोचन पाल पुत्र शिवमंगल पाल नि0ग्राम लोसनापुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ के पास से 01 अदद तमंचा 01 एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पन्ने लाल पाल हमारे गांव के हैं उनसे हमारा जमीनी विवाद चलता है, जिससे तंग आकर मैनें जान से मारने की नियत से इसी तमंचे से गोली मारी थी तथा बीच मे पन्नेलाल का लड़का सचिन आ गया था जिसको तमंचे की फायर पिन व हैमर से उसके पेट में मारा था। अवैध तमंचा बरामद के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। एवं घटनास्थल से निरीक्षण के दौरान एक खोखा कारतूस मिला था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 226/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352, 351(2), 351(3) बीएनएस थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- रामलोचन पाल पुत्र शिवमंगल पाल नि0ग्राम लोसनापुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

2- शिवमंगल पाल पुत्र स्व0 देवतादीन नि0ग्राम लोसनापुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

3- अनिल पाल पुत्र छोटे लाल पाल नि0 साकिनान बुदौना थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

4- विजय पाल पुत्र नकुल पाल नि0 साकिनान बुदौना थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

5- रवि पाल पुत्र लाल बहादुर पाल नि0 साकिनान बुदौना थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार, प्रशिक्षु उ0नि0 गौरव प्रताप सिंह, प्रशिक्षु उ0नि0 राहुल का0 परविंद कुमार, का0 कृष्णकान्त राय, का0 धर्मेन्द्र, का0 गौरव थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

बैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चोरी के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी की 01 अदद 14 चक्का ट्रक बरामद

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान से 01 14 चौका चक्का ट्रक बरामद व 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 09.07.2024 को वादी जिस ट्रक को चलाता है ट्रक नं0 यूपी 70 जीटी 1522 को अपने घर के सामने खडा किया था रात्रि में ट्रक चोरी करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 235/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे।

थाना प्रभारी कोतवाली देहात के नेतृत्व में उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह का0 विकाश जायसवाल, का0 शिवम कुमार यादव मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 235/24 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त आजाद पुत्र अफसर अली नि0 नरवा सिटी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कटरा से जेठवारा रोड़ पर खड़ी ट्रक को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ड्राइवर का नाम जैनुल पुत्र अज्ञात नि0 हैसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ है। हमने तथा जैनुल ने मिलकर ट्रक को जमुआरी गांव से कुछ व्यक्तियों की मदद से चुराया था हम इस ट्रक को ले जाकर बिहार में कटवाकर बेचने वाले थे। लेकिन मैनें अपने फोन पे से टोल पर टैक्स वाले को पैमेंट किया था जिस कारण ट्रक मालिक के पास मेरा मोबाइल नंम्बर पंहुच गया और उसे मेरे बारे में जानकारी हो गयी थी और उसने कहा कि जितना पैसा लेना हो ले लो लेकिन ट्रक वापस कर दो फिर मैनें लालच में आकर उससे 30 हजार रुपये मंगवा लिया। तब जाकर हम लोग ट्रक वापस करने के लिए जेठवारा की तरफ जा रहे थे।

बरामदगी-

01 चोरी की टाटा ट्रक 14 चक्का बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- आजाद पुत्र अफसर अली नि0 नरवा सिटी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह का0 विकाश जायसवाल, का0 शिवम कुमार यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

सरकारी कार्य में बाधा व लोक सेवक के साथ मारपीट करने/अभद्रता के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टेऊंगा से 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

दिनांक 10.07.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत मारपीट की घटना का इवेंट पर गयी थी पीआरवी 4399

घटना का विवरण-

दिनांक 10.07.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत पीआरवी 4399 पर मारपीट की घटना का इवेंट प्राप्त हुआ उक्त सूचना पर पीआरवी घटनास्थल ग्राम टेऊंगा पहुँची तो देखा कालर के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की जा रही है पीआरवी कर्मी द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, आरोपी द्वारा पीआरवी कर्मी के साथ अभद्रता व मारपीट/गाली गलौच करनें के संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 237/2024 धारा 109,121(1),132,352,324(4)(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 01 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कोतवाली देहात के नेतृत्व में दिनांक **10.07.2024** को समय **17.30** बजे थाना कोतवाली देहात के उ**0**नि**0** सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मु**0**अ**0**सं**0 237/2024** धारा **109,121(1),132,352,324(4)(5)** बीएनएस व **7** सीएलए एक्ट से संबंधित **01**अभियुक्त राहुल कुमार श्रीवास्तव उर्फ श्रवण कुमार पुत्र कमलेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी ग्राम टेऊंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम टेऊंगा से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु**0**अ**0**सं**0 237/2024** धारा **109,121(1),132,352,324(4)(5)** बीएनएस व **7** सीएलए एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राहुल कुमार श्रीवास्तव उर्फ श्रवण कुमार पुत्र कमलेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी ग्राम टेऊंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ**0**नि**0** सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह का**0** कृष्णकान्त सिंह थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ ।